सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं .NCST/DEV-398/JH/17/2022-ESDW **दिनांक : 20.12.2024**

सेवा मे,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त, धनबाद,
समाहरणालय भवन,
प्रधान डाकघर के पास,
धनबाद -826001,झारखंड
ई-मेल: dc-dha@nic.in

विषय: अभ्यावेदिका को उपायुक्त न्यायालय के निर्णय के अनुसार भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में श्रीमती सोनादी देवी, पति- साहेबराम मुर्मू, डूंगरीधार, ढोकरा, पो.- दामोदरपुर, धनबाद (झारखंड) का दिनांक 22.09.2021 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय,

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
ई-मेल : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती सोनादी देवी,
पति- साहेबराम मुर्मू,
डूंगरीधार, ढोकरा,
पो.- दामोदरपुर,
धनबाद (झारखंड)

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-398/JH/17/2022-ESDW

उपायुक्त न्यायालय के निर्णय के अनुसार भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में श्रीमती सोनादी देवी, पति- साहेबराम मुर्मू, डूंगरीधार, ढोकरा, पो.- दामोदरपुर, धनबाद (झारखंड) की शिकायत के मामले में आयोग के माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 03.12.2024 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	03/12/2024 को 11:15 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

मामले में श्रीमती सोनादी देवी शिकायत दिनांक 22.09.2021 आयोग में प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया है कि हीरापुर मौजा के खाता संख्या 12, प्लॉट संख्या 1012 पर कब्जा दिलाने के संबंध में दायर भू वापसी वाद में उपायुक्त ने दिनांक 09 सितंबर 2017 को फैसला सुनाया कि भूमि आदिवासी खाता की है, इसलिए उक्त प्लॉट पर खेतू मांझी को दखल दिलाया जाए। गौरतलब है कि खेतू मांझी अभ्यावेदिका के ससुर हैं। वर्तमान में अभी तक शिकायतकर्ता को भूमि पर कब्ज़ा नहीं मिला है |

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त , धनबाद , झारखण्ड को आयोग की ओर से नोटिस दिनांक 31.05.2022 भेजा गया। आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में कोई उत्तर / रिपोर्ट न प्राप्त होने पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 03.12.2024 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग /सुनवाई नोटिस जारी किए गए ।

3. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला-धनबाद, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

i. मामले को उपायुक्त, जिला धनबाद, झारखंड द्वारा पुनः समीक्षा किया जाए और 2017 के निर्णय के आधार पर आवश्यक कार्रवाई उपायुक्त, जिला धनबाद, झारखंड द्वारा शीघ्र की जाए।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर आयोग को भेजने की व्यवस्था करें |

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi